भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1480

उत्तर देने की तारीख 4 दिसम्बर, 2024 (बुधवार)

13 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निवेश

1480. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए संपर्क और अवसंरचना में सुधार करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ख) भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया है। उत्तर पूर्व औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को 01.04.2007 से 31.03.2017 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगीकरण को गति देने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। स्थानिक बाधाओं को दूर करने और पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को उनके तैयार उत्पाद और कच्चे माल के परिवहन हेतु सब्सिडी देने के संदर्भ में परिवहन सब्सिडी स्कीम, 1971 के स्थान पर 2013 में फ्रेट सब्सिडी स्कीम (एफएसएस) शुरू की गई थी। एनईआईआईपीपी, 2007 के बंद होने के बाद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करने के लिए उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 शुरू की गई थी। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए 09.03.2024 को एक नई औद्योगिक विकास स्कीम उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024 शुरू की गई थी, जो केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है।

(ग) से (घ) भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों और स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार गैर-छूट प्राप्त 55 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार के लिए विभिन्न स्कीमों जैसे उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) और पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

*****